लापरवाही कुंडम की इमलई समिति पर वजन में हेराफेरी के गंभीर आरोप

धान उपार्जन में बड़ा खेल : बोरे पूरे, लेकिन धान गायब !

नवभारत,जबलपुर। धान उपार्जन व्यवस्था में पारदर्शिता के दावों के बीच कुंडम क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तिलसनी स्थित वाजपेयी वेयरहाउस में संचालित इमलई सेवा सहकारी समिति पर धान खरीदी के दौरान वजन में भारी गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि समिति द्वारा बोरे की संख्या तो नियमानुसार पूरी दिखाई जा रही है, लेकिन प्रत्येक बोरे में निर्धारित वजन से काफी कम धान भरा जा रहा है ।नियमों के अनुसार एक बोरे का वजन 40 किलो 600 ग्राम होना अनिवार्य है, लेकिन कई बोरे 30 से 35 किलो के बीच जमा किए जा रहे हैं। इस तरह कागजों में गिनती पूरी कर दी जाती है, जबकि वास्तविक रूप से कुल धान का वजन कम जमा किया जा रहा है। इससे शासन को आर्थिक नुकसान और व्यवस्था में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है।

वेयरहाउस और समिति के बीच आरोप-प्रत्यारोप

मामले के सामने आने के बाद वेयरहाउस कर्मचारियों और समिति प्रबंधन के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि स्थानीय सूत्रों का कहना है कि यह पूरा खेल आपसी मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है, ताकि कम धान में ज्यादा खरीदी दर्शाई जा सके। मामला अधिकारियों की जानकारी में आने के बाद अब विस्तृत जांच की उम्मीद की जा रही है।

व्यापारियों और अधिकारियों की साठगांठ के आरोप

इस प्रकरण में कुछ व्यापारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि अधिकारियों के संरक्षण में फर्जी एंट्री कर बड़े पैमाने पर धान की खरीदी दिखाई गई है। यदि समिति के पिछले वर्षों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इस वर्ष खरीदी असामान्य रूप से अधिक दर्ज की गई है, जिससे संदेह और गहरा गया है।

इनका कहना है

इस मामले में कमेटी बनाई जाएगी और जांच होगी, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

ऋषभ जैन
संयुक्त कलेक्टर

चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मी से क्यों मांग रहे लोन की किश्त

जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीपी सूत्रकार की अदालत ने पीएनबी हाउसिंग व बीमा कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। मामला लोन की राशि अवैध रूप से मांगे जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है। कोर्ट ने मैनेजर, पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड व मैनेजर आईसीआईसीआई लुम्बार्ड को आगामी सुनवाई तिथि नौ फरवरी को उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं ।परिवादी रीना खरे की ओर से अधिवक्ता बनारसी राय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि परिवादी द्वारा अपने पति अरविंद खरे द्वारा लिए गए 25 लाख रुपये के लोन की राशि अवैध रूप से फाइनेंस कंपनी द्वारा मांग किए जाने पर आपत्ति जताई है। दरअसल, रीना खरे के पति अरविंद खरे ने पंजाब नेशनल हाउसिंग बैंक से 23 जुलाई, 2020 को 25 लाख रुपये का लोन लिया था और आईसीआईसीआई लुम्बार्ड कंपनी से एक लाख 25 हजार का बीमा कराया था।

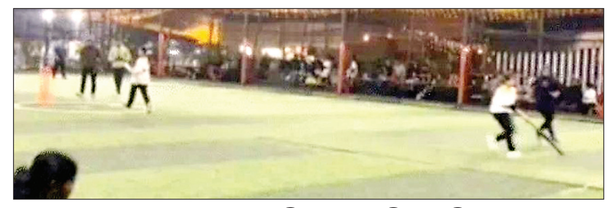

महिला खिलाड़ी हॉकी की जगह खेल रहीं क्रिकेट, जांच के आदेश

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेलवे के स्पोर्ट्स कोटे से नियुक्त 5 महिला कर्मचारियों की बड़ी अनियमितता सामने आई है। इन महिला कर्मचारियों को बालाघाट में आयोजित हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए करीब एक माह की विशेष छुट्टी स्वीकृत की गई थी, लेकिन वे बिना विभागीय अनुमति के चोरी-छिपे जबलपुर आकर क्लब क्रिकेट खेलती पाई गईं। दरअसल, जबलपुर के रेलवे स्टेडियम में इन दिनों वियाना वूमेन प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रिकेट लीग में खेलने के लिए महिला कर्मचारी बालाघाट से जबलपुर आती थीं। बताया जा रहा है कि हॉकी की प्रैक्टिस पर ध्यान देने के बजाय वे क्लब क्रिकेट में सक्रिय रहीं, जिसका असर हॉकी टूर्नामेंट में उनके खराब प्रदर्शन के रूप में सामने आया। महिला कर्मचारियों के क्रिकेट खेलने का वीडियो सामने आने के बाद मामला उजागर हुआ। वियाना वूमेन प्रीमियर लीग की लाइव स्ट्रीमिंग में महिला खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हुए स्पष्ट रूप से नजर आईं। जानकारी के मुताबिक, इस क्लब क्रिकेट में खेलने के बदले उन्हें पारिश्रमिक भी दिया जाता है, जिस वजह से उनका झुकाव हॉकी की बजाय क्रिकेट की ओर बढ़ गया। मामले में जिन महिला कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, उनमें हॉकी खिलाड़ी रैना यादव, मौली यादव, मरियम अटैया, खुशबू पटेल समेत अन्य शामिल हैं।

गोदाम में रखीं थीं प्रतिबंधित पॉलिथीन की 515 बोरियां

नगर निगम-जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मारा छापा

संचालक पर लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह एवं निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के मार्गदर्शन में शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिला प्रशासन के साथ नगर निगम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 में सनातन चौक के पास 17 मंजिल बिल्डिंग पंकज ट्रेडिंग कम्पनी संचालक प्रकाश रोहरा पिता स्व. गोपीचंद रोहरा के गोदाम में दबिश देकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन का बरामद की। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 में सनातन चौक के पास 17 मंजिल बिल्डिंग पंकज ट्रेडिंग कम्पनी संचालक प्रकाश रोहरा पिता स्व. गोपीचंद रोहरा के गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन का भंडारण किया गया है। मौके पर पहुंची टीम ने जब तलाशी ली, तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। गोदाम से लगभग 515 बोरी प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई है। नगर निगम ने न केवल अवैध स्टॉक को जब्त किया, बल्कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित पक्ष पर 1 लाख रुपये का स्पॉट फाइन भी लगाया। नगर निगम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर की स्वच्छता और नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

शादी तोड़ने पर बौखालाएं पूर्व मंगेतर ने कर दी युवती की हत्या

रिछाई में सनसनीखेज वारदात, दो गिरफ्तार

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत रिछाई में पूर्व मंगेतर ने साथी के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। खून से सनी युवती को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां से मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस-एफएसएल टीम मौका-ए-वारदात पर पहुंची और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच मं यह बात सामनेआई कि मुख्य आरोपी और मृतिका की सगाई हुई थी बाद में युवती ने शादी तोड़ दी थी जिसके बाद से बैखालाएं पूर्व मंगेतर ने बदलने की भावना के चलते सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक कु. रिचा रजक 19 वर्षीय निवासी इमलिया प्रेमनगर नई बस्ती अधारताल की रिछाई में अंशुल नमकीन फैक्ट्री मे काम करती थी। साथ में काम करने वाली पूजा ठाकुर के साथ रिचा घर लौट रही थी तभी रिचा का पूर्व मंगेतर साहिल रजक अपने साथी अजय के साथ पहुंचा। अजय मोटर सायकल लेकर खड़ा था साहिल ने रिचा को बीच रास्ते में रोक लिया। युवती कुछ समझ पाती इसके पहले ही उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में युवती घायल हो गई और बेहोश कर गिर गई। इसके बाद दोनों हमलावर मोटर सायकिल से भाग गये। गंभीर अवस्था में रिचा को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उसे डॉक्टर ने परीक्षण उपरांत मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल सुश्री राजेश्वरी कौरव एवं वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. नीता जैन पहुंचे और अहम साक्ष्य जुटाए। हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी साहिल रजक 22 वर्ष एवं अजय भूमिया 22 वर्ष दोनों निवासी गढा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को शनिवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

दहेज में पांच लाख की डिमांड पर टूटा था रिश्ता

रिचा और गढा निवासी साहिल रजक की दोस्त दो साल पहले हुई थी। रिचा की सगाई पिछले साल जून माह में साहिल रजक के साथ हुई और शादी तय की गई। शादी के पहले ही साहिल दहेज में पांच लाख की डिमांड करने लगा था। जिसके चलते ऋचा ने शादी से मना कर दिया था। इसके बाद से वे ऋचा पर शक करने लगा था।

तीन दिन से काट रहा था चक्कर, गले-सीने में किए वार

आरोपित साहिल पिछले तीन दिनों से रिचा की फैक्ट्री के चक्कर काट रहा था मौका मिलते ने ही उसे चाकू से गले, सीने में तीन वार कर युवती को मौत के घाट उतार दिया। युवती की मौत के बाद परिजनों का रो-रोककर बुरा हाल है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि हंसी खुशी घर से निकली उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है।

पानी को लेकर भ्रम-नकारात्मकता फैला रहा कांग्रेस पार्षद दल : महापौर

शहर में हर जगह पहुंचाया जा रहा स्वच्छ पेयजल महापौर ने किया दावा

नवभारत,जबलपुर। शहर की जीवनदायिनी माँ नर्मदा की स्वच्छता और नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयास धरातल पर सफल नजर आ रहे हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' ने जल विभाग और स्वच्छता कार्यों की समीक्षा करते हुए शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को पहले से अधिक बेहतर और पारदर्शी बताया है।

महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि शहर में कहीं भी कोई लीकेज अथवा गंदे पानी की शिकायत हो तो उसकी सूचना नगर निगम मुख्यालय अथवा संभागीय कार्यालयों में दें, नगर निगम द्वारा 24 घंटे के अंदर उसका निराकरण किया जायेगा।

महापौर ने जलप्रदाय व्यवस्था को लेकर यह भी कहा है कि विपक्ष साकारात्मक रहें भ्रम और दहशत की स्थिति असफल उत्पन्न करने का प्रयास न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्षद दल का व्यवहार शहर के देवतुल्य नागरिको के प्रति नाकारात्मक एवं दहशत फैलाने वाला है। महापौर ने विपक्ष के लोगों से सकारात्मक रहने के लिए और दहशत न फैलाने के लिए भी कहा है।

माँ नर्मदा में अब नहीं मिल रहा गंदा पानी

महापौर ने बताया कि शहर के विभिन्न नालों में स्थापित किए गए सभी एस.टी.पी. (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) पूरी क्षमता के साथ संचालित हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि वर्तमान में इन ट्रीटमेंट प्लांट्स के माध्यम से पानी को फिल्टर करने के बाद ही माँ नर्मदा में प्रवाहित किया जा रहा है। इससे न केवल नदी का प्रदूषण स्तर कम हुआ है, बल्कि धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह एक बड़ी उपलब्धि है।

शहर का 45 .7 प्रतिशत पानी दूषित, समय रहते जाग जाएं जिम्मेदार : विनय सक्सेना

नवभारत,जबलपुर। शहर में सप्लाई होने वाले पीने के पानी की शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने मोर्चा खोल दिया है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 17 मौतों का हवाला देते हुए पूर्व विधायक ने महापौर जगतबहादुर सिंह अन्नू और निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार को 13 सूत्रीय मांग और सुझाव पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते जल शोधन और वितरण प्रणाली में सुधार नहीं किया गया, तो शहर में गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए पेयजल शुद्धता की जांच गंभीरता से की जाए। इस संबंध में पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने बताया कि दिसंबर 2025 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट में जबलपुर में सप्लाई किए जा रहे कुल पानी में केवल 54.3 प्रतिशत पानी ही सुरक्षित बताया गया है जबकि शेष 45.7 प्रतिशत पानी दूषित है जिसके लिए तत्काल कार्य योजना बनाने की मांग की गई है। पत्र में नगर निगम द्वारा कराई गई बोरिंग के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण कराने की मांग भी की गई है ।

एसडीएम के आदेश का उल्लंघन

विवादित भूमि पर कब्जे का मामला

जबलपुर। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में स्थित विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने एसडीएम के आदेश का उल्लंघन करते हुए अस्थाई रूम बना लिया गया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली गई है ।पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजेन्द्र अवस्थी पिता रामेश्वर प्रसाद अवस्थी 71 वर्ष निवासी नंदेश्वर विहार गुप्तेश्वर मंदिर रोड गोरखपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि पत्नि अंजना अवस्थी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से एसडीएम कोर्ट गोरखपुर में विवेक त्रिपाठी पिता अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी,आकर्ष श्रीवास्तव पिता प्रमोद श्रीवास्तव, मनीष पटैल पिता महेश पटैल सभी निवासी गढ़ा,विवेक दुबे प्रोपराइटर सतपुड़ा इन्फ्राकाम प्रायवेट लिमिटेड निवासी आनंदकुंज के खिलाफ शिकायत की गई थी। एसडीएम गोरखपुर द्वारा मौजा गढ़ा खसरा नम्बर 138/4/3 रकवा 400 वर्गफीट एवं खसरा नम्बर 138/4/1 ,2440 वर्गफीट पत्नि की भूमि की पंजीकृत विक्रय पत्र 23 फरवरी 2011 के दस्तावेज क्रमांक दस्तावेज 3505 ग्रन्थ क्रमांक 669 द्वारा 3640 वर्गफीट एवं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक को ही रकवा 2600 वर्गफीट को पूर्व क्रेता श्रीमति जानकी बाई के माध्यम से क्रय की गई थी तब से पत्नि उक्त सम्पत्ति क्रय दिनांक से ही काबिज है विवादित भूमि के कब्जे को लेकर पत्नि के अधिवक्ता के तर्क सुनकर एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति पर शान्ति भंग होने की संभावना पर दोनों पक्षों को 21 जनवरी 2026 तक उक्त विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश 5 जनवरी 2026 को एसडीएम गोरखपुर द्वारा पारित किया गया है। आदेश के पारित होने के बावजूद भी आकर्ष श्रीवास्तव ने पत्नि के प्लट में गिट्टी (रेत) एवं सीमेन्ट के ईंटों से अस्थाई लेबर रूम बना लिये हैं। एसडीएम गोरखपुर के आदेश का उल्लंघन किया है।

बिना दस्तावेज ओवरलोड एम सैंड और गिट्टी का हो रहा था परिवहन

अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 3 हाईवा जप्त

नवभारत,जबलपुर। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मानेगांव एवं आसपास के क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एम सैंड एवं गिट्टी का बिना वैध पारपत्र और क्षमता से अधिक ओवरलोड परिवहन करते हुए तीन हाईवा वाहन पकड़े गए। मौके पर ही तीनों वाहनों को जप्त कर सुरक्षार्थ थाना बरगी परिसर में खड़ा कराया गया।

थाने ले जाते समय रोकने का किया प्रयास

तहसीलदार जबलपुर रविन्द्र पटेल ने बताया कि जप्त वाहनों को बरगी थाना ले जाते समय जबलपुर-नागपुर मार्ग पर टोल नाके के पास रोहित जैन एवं उनके साथियों द्वारा वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। शासकीय कार्य में बाधा डालने की घटना के संबंध में थाना प्रभारी बरगी को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु अभ्यावेदन सौंपा गया है। इस संयुक्त कार्रवाई में खनि निरीक्षक विवेकानंद यादव, थाना प्रभारी बरगी एवं डीएसपी हेमंत कुमार सहित संबंधित अमला उपस्थित रहा।

अत्याधुनिक मशीनों द्वारा इलाज
मुँहासे | झांइयाँ | सफेद दाग | खुजली | दाद | चर्म रोग | हेयरफॉल | रंग गोरा करें
स्किन हेयर एण्ड सौन्दर्य क्लीनिक
तुरन्त हटाये तिल, मस्से, टैटू, सफेद दाग
(सोमवार मंगलवार बुधवार)
डॉ. ए.कुमार
B.Sc., B.H.M.S (Skin & VD) Pune
C.C.C.L.A.M (Cosmetologist) IICSAM,
C.C.M.T (Trichologist) IICSAM
पता- 846, छत्रपति भवन, राईट टाउन, नया महावीर जैन मंदिर, गोल बाजार, जबलपुर (म.प्र.)
मो. नं. 9307854830, 7389098734

SHIVAM CERAMIC JABALPUR
QUTONE
महाकौशल का सबसे बड़ा शो-रूम
टाइल्स, इटैलियन मार्बल, ग्रेनाइट, सेनेटरी वेअर
GROHE, Bath Fitting, QUTONE, COLORTILE, SERON & LAVISH टाइल्स की आधुनिक रेंज
MG शो-रूम के बाजू में, नागपुर रोड, मदन महल, जबलपुर - 9425188774, 8224045555

SPARK CONVENT SCHOOL
ADMISSION OPEN 2025-2026
सम्पर्क
Branch-1: New Kanchanpur, Near Neher, Adhartal, Jabalpur MP (Nursery to 8th)
Branch-2: Vatsala Hill View, Sainik Society, Shakti Nagar, Gupteshwar, Jabalpur MP (Nursery to 5th)
Ph. 0761-4923248, Mob. 9425868370

नवभारत
आवश्यकता है
पद की योग्यता
देश के अनेक राज्यों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।
एकाउंटेंट (बी.कॉम.व टेली एवं 2 वर्ष का अनुभव)
डीटीपी ऑपरेटर (5 वर्ष का अनुभव एवं कोरल ड्रा अनिवार्य)
ऑफिस बाय (10 वीं पास एवं 5 वर्ष का अनुभव)
संपर्क करें
कार्यालय- नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर
(दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक)
9752721239, 8305852507
hr.navabharat1934@gmail.com

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57